फोन : 25674980
ई-मेल : ddgvig(@dgest.org

सतर्कता सावधानी
ई-मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा
सं.109/21/विविध/सामान्य/सत./रसं
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा महानिदेशालय,
रक्षा संपदा भवन,
उलान बाटर मार्ग,
दिल्ली छावनी - 110010
16 अक्टूबर 2015

सेवामें,
प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा
मध्य / पूर्व / उत्तर / दक्षिण / दक्षिण पश्चिम / पश्चिम कमान
लखनऊ / कोलकाता / जम्मू / पुणे / जयपुर / चंडीगढ़

विषय :: त्यौहार के दौरान उपहार लेने के संबंध में सावधानी ।

महानिदेशालय की ओर से रक्षा संपदा संगठन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को "**दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं**" ।

2. आपसे यह भी अनुरोध है कि उपहारों को स्वीकार करने, विशेष रूप से त्यौहार के सुअवसर के दौरान, के बारे में सरकारी सेवकों के लिए लागू सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 के बारे में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सावधान कर दें।

3. आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचालन के लिए नियम-13 की प्रति संलग्न है। कृपया इसका सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है ।

(योगेश कुमार)
उप महानिदेशक
रक्षा संपदा

अनुलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि :
1. डीजीडीई / निदेम / ए.यू. एवं आर.सी. के सभी अधिकारी
2. सभी रक्षा संपदा अधिकारी / मुख्य अधिशासी अधिकारी (ई-मेल द्वारा)
3. डीजीडीई वेबसाइट / डी.एम.एस

केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 13

13. उपहार

(1) जब तक इन नियमों में अन्यथा न दिया जाए तब तक कोई भी सरकारी कमर्चारी कोई भी उपहार न तो स्वयं स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी जगह काम करने वाले किसी अन्य व्यति को स्वीकार करने की अनुमति देगा ।

स्पष्टीकरण – **"उपहार" नामक अभिव्यिक्त में नि:शुल्क परिवहन, भोजन, आवास या कोई अन्य सेवा या किसी निकट संबंधी या मित्र, जिसका सरकारी कमर्चारी से कार्यालय की हैसियत से कोई संबंध न हो, को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया धन संबंधी लाभ शामिल है ।**

टिप्पणी (1) - कभी कभार किए गए भोजन, लिफ्ट लेने या अन्य सामाजिक आतिथ्य स्वीकार करने को उपहार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा ।

टिप्पणी (2) - किसी सरकारी कमर्चारी को किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसका उससे पदीय हैसियत से संबंध हो या किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि की ओर से बहुत अधिक या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए ।

(2) विवाह, वार्षिकोत्सव, दाह-संस्कार या धार्मिक उत्सवों पर जबकि धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार उपहार दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से या मित्रों से, जिनके साथ उसके कार्यालयी संबंध नहीं हैं, उपहार स्वीकार कर सकते हैं किन्तु यदि उपहार की कीमत नीचे दिए गए मूल्य से अधिक हो तो सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरकार को देगा :

(i) समूह 'क' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में सात हजार रूपए ।

(ii) समूह 'ख' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में चार हजार रूपए ।

(iii) समूह 'ग' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में दो हजार रूपए ।

(iv) समूह 'घ' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में एक हजार रूपए ।

(3) किसी भी अन्य मामले में उपहार का मूल्य निम्नलिखत से अधिक होने पर, सरकारी कमर्चारी उसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा –

(i) समूह 'क' या समूह 'ख' के पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक हजार पाँच सौ रूपए ।